

सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने की अनुमति प्रदान करने के लिए
आवेदन-पत्र

(सात प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना है)

सचिव,
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,
'ए' विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110 001

महोदय,

मैं भारत में सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए दिशानिर्देश में यथा-निर्धारित पात्रता के समर्थन में एतद्वारा निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत करता हूँ ।

1. संस्था/संगठन का नाम :
2. स्थान :
3. संचार के लिए मेल पता :
पिन कोड टेलीफोन नं.
ई-मेल फैक्स
4. (दिल्ली में) स्थानीय पता, यदि कोई हो :
5. संस्था/संगठन के अध्यक्ष का नाम :
6. करार की अनुमति प्रदान करने (जीओपीए)
की निबंधन और शर्तों के अनुपालन के लिए
उत्तरदायी प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम,
पदनाम और पता :
(अनुलग्नक-11 के अनुसार ब्यौरा दिया जाए) :
7. संगठन और शासी निकाय के सदस्यों का ब्यौरा :
(कृपया अनुलग्नक-11 के अनुसार प्रत्येक सदस्य के जीवन-वृत्त के साथ सदस्यों
का ब्यौरा दिया जाए)
8. निम्नलिखित के मामले में निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत किया जाए :

(क) शिक्षा संस्थाएं :

- (i) क्या शिक्षा संस्था सरकारी/प्राइवेट अथवा सरकारी सहायता प्राप्त संस्था है:
- (ii) क्या यह निम्नलिखित द्वारा मान्यता प्राप्त है :
(क) केन्द्र सरकार (ख) राज्य सरकार
(कृपया ब्यौरा दस्तावेजी साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया जाए)
- (iii) कृपया संस्था का प्रोफाइल प्रस्तुत किया जाए :
- (iv) शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित समुदाय/क्षेत्र का ब्यौरा (सामुदायिक रेडियो द्वारा शामिल किए जाने के लिए समग्र सेवा क्षेत्र को दर्शाते हुए क्षेत्र का मानचित्र संलग्न करें)
- (v) कृपया संबंधित दस्तावेज (जैसे आयकर अधिनियम की धारा 12ए के तहत जैसा प्रमाण-पत्र अथवा कोई अन्य दस्तावेज) इस बारे में प्रस्तुत किए जाएं कि संस्था प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र (अनुलग्नक-1) के पैरा 6 में यथा-प्रमाणित "लाभ न कमाने वाली" है।

(ख) कृषि विश्वविद्यालय/आईसीएआर संस्था/कृषि विज्ञान केन्द्र

- (i) क्या संस्था/संगठन प्राइवेट/सरकारी सहायता प्राप्त है :
- (ii) क्या निम्नलिखित द्वारा मान्यता प्राप्त है :
(क) केन्द्र सरकार (ख) राज्य सरकार
(कृपया दस्तावेजी साक्ष्य के साथ ब्यौरा प्रस्तुत किया जाए)
- (iii) कृपया संस्था का प्रोफाइल प्रस्तुत किया जाए :
- (iv) शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित समुदाय/क्षेत्र का ब्यौरा (सामुदायिक रेडियो द्वारा शामिल किए जाने के लिए समग्र सेवा क्षेत्र को दर्शाते हुए क्षेत्र का मानचित्र संलग्न करें)

(ग) लाभ न कमाने वाले संगठन, स्वैच्छिक संगठन, गैर-सरकारी संगठन इत्यादि

(i) क्या यह सोसाइटी अधिनियम अथवा इस उद्देश्य से प्रासंगिक किसी अन्य अधिनियम के तहत पंजीकृत है :

(कृपया ब्यौरा प्रस्तुत किया जाए और पंजीकृत प्रमाण-पत्र की सत्यापित फोटो प्रति संलग्न की जाए)

(ii) क्या आवेदन करते समय पंजीकरण के तीन वर्ष पूरे हो गए हैं :

(iii) कृपया संघ के ज्ञापन अनुच्छेद की प्रति संलग्न करें :

(iv) संगठन/गैर-सरकारी संगठन/सिविल सोसाइटी संगठन के पिछले तीन वर्ष के तुलनपत्र की सत्यापित प्रतियां संलग्न करें :

(v) क्या इसने केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/बहु-पक्षीय अभिकरणों से अनुदान प्राप्त किया है? (यदि हाँ तो समर्थक दस्तावेजों के साथ ब्यौरा प्रस्तुत किया जाए)

(vi) पिछली उपलब्धियों, की गई समुदाय आधारित परियोजनाओं सहित संगठन का प्रोफाइल प्रस्तुत किया जाए।

(vii) सेवा के लिए शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्र में रहने वाले समुदाय का ब्यौरा?

(सामुदायिक रेडियो द्वारा शामिल किए जाने वाले सम्पूर्ण सेवा क्षेत्र को दर्शाते हुए एक मानचित्र भी संलग्न करें)

(viii) सामुदायिक रेडियो स्टेशन को स्थापित करके हासिल किए जाने वाले उद्देश्य :

सभी आवेदकों द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सामान्य सूचना :

9. कृपया यह उल्लेख किया जाए (i) एफएम रेडियो ट्रांसमीटर की क्षमता :

(सामान्यतः 100 वॉट ईआरपी की अनुमति दी जाती है। अपवादस्वरूप मामले में दिशानिर्देशों में यथा-निर्धारित शर्तों के तहत 250 वॉट ईआरपी तक विचार किया जा सकता है)

(ii) टावर की ऊँचाई (भूतल स्तर से अधिकतम 30 मीटर और न्यूनतम 15 मीटर की अनुमति प्रदान की जाती है) :

10. एफएम ट्रांसमीटर और एंटीना का स्थान :

(i) स्थान का भू-समेकन (डिग्री, मिनट और सेकण्ड में) :

(ii) समुद्र तल से ऊपर ऊँचाई (एएमएसएल मीटर में) :

(शिक्षा संस्थाओं के मामले में एफएम ट्रांसमीटर तथा एंटीना शिक्षा संस्था के परिसर में स्थित होना चाहिए। अन्य सभी मामलों में एफएम ट्रांसमीटर तथा एंटीना को इसके तहत शामिल किए जाने वाले समुदाय के भौगोलिक क्षेत्र के भीतर स्थित किया जाना चाहिए। कृपया उस ग्राम/कस्बे/क्षेत्र इत्यादि के नाम का उल्लेख किया जाए जिसमें ट्रांसमीटर और एंटीना स्थित किया जाना है तथा सामुदायिक रेडियो द्वारा शामिल किए जाने वाले सेवा क्षेत्र का उल्लेख मानचित्र के साथ किया जाए। मोबाइल एफएम ट्रांसमीटर तथा एंटीना की अनुमति नहीं है।

11. प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का स्वरूप/प्रकार :

12. वे भाषा (भाषाएं) जिनमें कार्यक्रम तैयार किया जाना है/प्रसारित किया जाना है :

13. प्रसारण के प्रस्तावित घण्टों की संख्या :

14. विषय-वस्तु का (स्वयं/प्राप्त की गई) स्रोत :

15. संस्था की 10 किमी. की परिधि में स्थित समुदाय का प्रोफाइल और उसकी समस्याएं :

16. आपके कार्यक्रम लक्षित समुदाय की किस प्रकार सहायता करेंगे :
17. आप कार्यक्रमों को तैयार करने तथा सामुदायिक रेडियो स्टेशन के प्रबंधन के संबंध में समुदाय की भागीदारी के लिए क्या प्रस्ताव करते हैं :
18. क्या आपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने की आवश्यकता तथा लक्षित जनसंख्या की अपेक्षाओं के संबंध में समुदाय के बीच कोई सर्वेक्षण कराया है? इसका संक्षिप्त ब्यौरा दिया जाए :
19. निधियन के स्रोत का ब्यौरा और निम्नलिखित के लिए निवेश की जाने वाली प्रस्तावित राशि -
- क. बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था
 - ख. अनुरक्षण
 - ग. कार्यक्रम तैयार करना
20. विदेशी सहायता, यदि कोई हो :
(केवल बहुपक्षीय अभिकरणों से ही विदेशी सहायता की अनुमति है। कृपया एफसीआरए अनुमोदन की प्रति संलग्न करें।)
21. प्रक्रिया शुल्क का विवरण :
- वेतन और लेखा अधिकारी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली के पक्ष में देय (बैंक, शाखा का नाम) से आहरित प्रक्रिया शुल्क के लिए 2500 रूपए का दिनांक का डिमांड ड्राफ्ट संख्या संलग्न है
(कृपया यह नोट किया जाए कि डिमांड ड्राफ्ट केवल दिल्ली/नई दिल्ली में देय होना चाहिए)

घोषणा

- i. मैं/हम के लिए तथा की ओर से इस आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत हूँ/हैं।
- ii. मैं/हम एतद्वारा यह प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं।
- iii. मैं/हम सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को यह आश्वासन देता हूँ/देते हैं कि भविष्य में ऊपर दिए गए तथ्यों में कोई परिवर्तन होने पर सूचना दी जाएगी।
- iv. मैं/हम दिशानिर्देशों के पैरा 5 में निर्धारित की गई शर्तों सहित आकाशवाणी की कार्यक्रम संहिता का अनुपालन करने का आश्वासन देता हूँ/देते हैं।
- v. मैं/हम किसी रूप में प्रसारित टेप/सी.डी. अथवा रिकार्डिंग को तीन माह तक सुरक्षित रखने तथा जब भी अपेक्षित होगा इसे सरकार को प्रदान करने का आश्वासन देता हूँ/देते हैं।
- vi. मैं/हम दिशानिर्देशों में निर्धारित की गई निबंधन और शर्तों तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले इस प्रकार के अन्य निर्देशों का अनुपालन करने का आश्वासन देता हूँ/देते हैं।
- vii. अनुलग्नक-I में यथा-निर्धारित शपथ-पत्र और अनुलग्नक-II में यथा-निर्धारित किया गया सदस्यों का जीवन-वृत्त संलग्न है।

[आवेदक (आवेदकों) का/के हस्ताक्षर]

(नाम बड़े अक्षरों में)

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षरकर्ता का पदनाम

(कार्यालय मोहर)

प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र

1. मैं यह समझता हूँ कि यदि यह आवेदन किसी भी प्रकार से अपूर्ण/और/अथवा यदि सशर्त अनुपालन वाला नहीं पाया जाता है अथवा इसके साथ अपेक्षित प्रोसेस शुल्क नहीं होने पर इसे सीधे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
2. मैं आकाशवाणी द्वारा अपनायी जा रही कार्यक्रम संहिता अथवा किसी ऐसी अन्य संहिता (संहिताओं) जो किसी समय लागू की जा सकती है/हैं, का पूर्णतः अनुपालन करने का आश्वासन देता हूँ।
3. मैं यह समझता हूँ कि यदि किसी समय कोई प्रमाण दिया जाता है अथवा अनुमति प्राप्त करने के लिए दी गई सूचना गलत पायी जाती है तो मेरा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा और इस आवेदन के आधार पर प्रदान की गई कोई अनुमति समाप्त मानी जाएगी।
4. मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि यह संस्था/संगठन केन्द्र और राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों द्वारा जनहित सूचना के लिए प्रायोजित किए गए कार्यक्रमों को प्रसारित करने के अतिरिक्त प्रायोजित कार्यक्रमों को प्रसारित नहीं करेगी/करेगा।
5. मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि यह संस्था/संगठन स्थानीय घटनाओं, स्थानीय व्यापार और सेवाओं तथा रोजगार अवसरों से संबंधित सीमित विज्ञापनों तथा घोषणाओं को प्रसारित करेगी/करेगा और इस प्रकार के सीमित विज्ञान की अधिकतम अवधि प्रति-प्रसारण घण्टे पाँच (5) मिनट होगी।
6. मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि यह संस्था/संगठन 'लाभ कमाने वाला' नहीं है।
7. मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि इस प्रकार के विज्ञापन और घोषणाओं से अर्जित राजस्व का उपयोग केवल सामुदायिक रेडियो स्टेशन के प्रचालन व्यय तथा पूँजीगत व्यय के लिए ही किया जाएगा। मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि सामुदायिक रेडियो स्टेशन की पूरी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद बची शेष राशि को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की पूर्व और लिखित अनुमति से संगठन के प्राथमिक कार्यकलाप अर्थात् शिक्षा संस्था के मामले में शिक्षा के लिए/उन प्राथमिक उद्देश्यों जिनके लिए गैर-सरकारी संगठन बनाया गया है, को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग किया जाएगा।
8. मैं एतद्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि प्रदाता द्वारा आशय पत्र (एलओआई) जारी करने और संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी के डब्ल्यूपीसी विंग से एसएसीएफए

- अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ सामुदायिक रेडियो प्रसारण के लिए अनुमति प्रदान करने संबंधी करार (जीपीओए) सम्पन्न करूंगा। मैं यह आश्वासन देता हूँ कि इनसे संबंधित सभी निबंधन और शर्तों का पूर्णतः अनुपालन करूंगा; ऐसा न करने पर प्रदाता करार को समाप्त/प्रतिसंहरण/रद्द कर सकता है।
9. मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार इस आवेदन में दिया गया विवरण सही है। मैं यह समझता हूँ कि भारत सरकार के पास किसी समय दिए गए विवरण को झूठा पाए जाने पर और मेरे अथवा किसी सदस्य अथवा किसी अधिकारी द्वारा दिए जाने वाले विवरण का झूठा होने का पता लगने पर इस अनुमति को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर तथा नाम
(कार्यालय मोहर)

अनुलग्नक-II

सदस्यों और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ब्यौरा

1. नाम
2. जन्म तिथि
3. माता-पिता का ब्यौरा
4. राष्ट्रियता
5. स्थायी पता
6. आवासीय पता
7. कार्यालय का पता
8. पासपोर्ट नम्बर (यदि कोई हो)
9. योग्यता
10. अनुभव

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर तथा नाम
(कार्यालय मोहर)